न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 35 / 2026(GCMS 2026/78)
(RTI No. 212703236774835)

श्री मोहन लाल पुत्र श्री ओम प्रकाश वार्ड नं.07, राईयांवाली, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 94133—66566)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व)**, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मोहन लाल उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2026 से प्रस्तुत करके चार बिन्दुओं सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोहनलाल ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2026 से तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी :

> प्रार्थी को ग्राम 8 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर की वर्तमान जमाबंदी (खाता संख्या 264) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी अन्य कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य (Evidence) के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है :
>
> 1. उक्त खाते के विभाजन (बंटवारा / Partition) हेतु विभाग में प्रस्तुत की गई वारिसों की सूची (वंशावली / Pedigree Table) की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
> 2. इस विभाजन की पत्रावली में शामिल वह दस्तावेज प्रदान करें जिसमें श्रीमती कमला देवी (सुपुत्री श्री ईश्वर राम) और श्री भूरा राम को स्व. श्री ईश्वर राम का कानूनी वारिस स्वीकार किया गया है।
> 3. इस खाते में बंटवारे के सम्बन्ध में पारित आदेश (Final Partition Order) की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
> 4. इस विभाजन के समय पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें जिसमें सभी वारिसों के नाम और उनके हिस्सों का विवरण दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:49 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार(राजस्व), श्रीविजयनगर [illegible] अपने पत्र क्रमांक [illegible] /2026 / 155 दिनांक 04.05.2026 से अपील [illegible] अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक एलआर / 2026 / 1079 दिनांक [illegible].03.2026 अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चक 8 एएस खाता संख्या 264 से संबंधित बंटवारे एव वारिसान की सूची चाही है। मुताबिक जमाबंदी चक 8 एएस के खाता संख्या 264 में कमला देवी पुत्री ईश्वर, गंगाजल, बनवारी, भूराराम, भागीरथ पुत्रगण ईश्वर जाति मेघवाल साकीन कोतवाली तहसील संगरिया गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। चक 8 एएस के खाता संख्या 264 से संबंधित कोई खाता विभाजन इस कार्यालय स्तर से नहीं हुआ है।
>
> अतः आप द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो** निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपील[illegible] सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे [illegible] **लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:49 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर